87/2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज
29/8/2015	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीनी अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1 से 2/1 से 2/8 के अधिवक्ता उपस्थित। शेष विप्रार्थी एकपक्षीय। उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीनी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीनी की पुश्तैनी भूमि ग्राम टापरा की खसरा संख्या 1063/450 क्षेत्रफल 2.4767 हैक्टयर एवं ग्राम भाखरी खेड़ा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 147/9 क्षेत्रफल 3.2375 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। विवादित भूमि प्रार्थीनी के पिता भैराराम के नाम वक्त सेटलमेंट दर्ज हुए थी। भैराराम के फौत होने पर उसके वारिसान मे प्रार्थीनी का भी नाम दायर किया जाना चाहिए था,लेकिन प्रार्थीनी को उसके हक हकूको से महरूम रखते हुए विवादित भूमि मे प्रार्थीनी का नाम दर्ज नही किया गया,जबकि प्रार्थीनी का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। विवादित भूमि मे प्रार्थीनी का नाम दायर नही होने का नाजायज फायदा उठाकर विप्रार्थी प्रार्थीनी को मौके से बेदखल करने एवं भूमि को बेचान करने पर उतारू है। यदि इसमे सफल हो गए तो प्रार्थीनी के वाद का मकसद ही समाप्त हो जावेगा। अतः प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मूलवाद के निर्णय तक विवादित भूमि की राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखे जाने का स्थगन आदेश पारित किया जावे। इसके विपरीत विप्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीनी की ओर से मनगढन्त तथ्यो के आधार पर आवेदन पेश किया गया है,जो चलने योग्य नही है। क्योकि प्राथीर्नी का विवादित भूमि मे कोई हक हकूक निहित नही है। विवादित भूमि पुश्तैनी नही है और न ही विवादित भूमि पर प्रार्थीनी का कब्जा काश्त रहा है। भैराराम के फौत हुए लगभग 25 वर्षो का समय व्यतीत हो चुका है,इतने वर्षो तक प्रार्थीनी क्यो चुपचाप रही,क्यो नही कानूनी कार्यवाही की गई,इस संबध मे कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि प्रार्थीनी की ओर से विप्रार्थी को परेशान करने की नियत से वाद पेश किया गया है,जिसमे प्रार्थीनी को सफलता मिलने की कोई संभावना नही है। जबकि विप्रार्थी रेकर्डेड खातेदारा है और रेकर्डेड खातेदार के विरूद्व स्थगन आदेश जारी नही किया जा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

87/2024

सकता है। अतः प्रार्थीनी का आवेदन गलत तथ्यो के आधार पर होने के कारा खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि मूलवाद में खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अनुतोष चाहा गया है,जो कि मूलवाद में साक्ष्य एवं सबूतो के आधार पर तय होगा कि वादीनी/प्रार्थीनी राहत प्राप्त करने के हकदार है अथवा नही। लेकिन हस्तगत प्रकरण में स्थगन आदेश को जारी रखा जाना उचित प्रतीत नही होता है,क्योकि प्रार्थीनी न ही विवादित भूमि की रिकार्डेड खातेदार है,जबकि विप्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है और रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व स्थगन आदेश जारी नही किया जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पंहुचा है कि प्रथम द्रष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो ही बिन्दु प्रार्थीनी के पक्ष में नहीं बनते है।

लिहाजा प्रार्थीनी का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सारहीन तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

29/08/2024

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा